न्यायालय सहायक कलक्टर बडीसादडी जिला चित्तौडगढ

. पीठासीन अधिकारी :— प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :— 45/2024 ई.रे. **दिनांक 15.09.2025**

1— नारू पुत्री किशोर जाट पत्नी उंकार जाट निवासी नान्दोली हाल मुकाम मलुक दास खेडी तहसील डूंगला
2— मांगी पुत्री किशोर जाट पत्नी देवीलाल जाट निवासी नान्दोली हाल मुकाम गुलजी का खेडा तहसील भदेसर

प्रार्थियागण

बनाम

1— छोगालाल पुत्री हजारी जाट निवासी नान्दोली तहसील बडीसादडी
2— रतनलाल पुत्र किशोर जाट, निवासी नान्दोली, तहसील बडीसादडी
3— उदयलाल उर्फ उदा पुत्र किशोर जाट निवासी नान्दोली तहसील बडीसादडी
4— हीरालाल पुत्र किशोर जाट, निवासी नान्दोली तहसील बडीसादडी
5— प्रकाश चन्द्र पुत्र शंकर लाल जाट, निवासी नान्दोली तहसील बडीसादडी
6— मुकेश पुत्र शंकर लाल जाट, निवासी नान्दोली तहसील बडीसादडी
7— भूमिधारी राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बडीसादडी
8— नायब तहसीलदार / उप पंजीयक निकुम्भ

—अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट</u>

उपस्थित— श्री एम. एच. खान वकील प्रार्थीगण
श्री एन.डी. जोशी वकील विपक्षी नं. 1, 3
श्री चेतन जायसवाल विपक्षी नं. 6

—:: आदेश::—

प्रार्थीगण की ओर सें प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र धारा 212 आर.टी.एक्ट. का इस आशय का पेश किया कि

1. प्रार्थीगण की ओर से न्यायालय में घोषणा विभाजन एवं स्थाई निषेधाझा हेतु एक वाद पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त वाद पत्र के निन्तारण में समय लगने की पुर्ण सम्भावना होने से वादकालिन अस्थाई निषेधाझा हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

2. राजस्व ग्रम नान्दोली, पटवार हल्का भाटोली, तहसील बडीसादडी में निम्न कृषि भूमिया स्थित है

खाता सं.	खसरा सं.	रकबा
159	359	0.0900 हैक्टेयर
	382	0.[illegible] हैक्टेयर
	383	0.[illegible] हैक्टेयर
	387	0.2400 हैक्टेयर
	389	0.2100 हैक्टेयर
कुल	5	1.2300 हैक्टेयर

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.11.19 10:26:24 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

खाता सं.	खसरा सं.	रकबा
133	358	0.8100 हैक्टेयर
कुल	1	0.8100 हैक्टेयर
खाता सं.	खसरा सं.	रकबा
33	36	0.0100 हैक्टेयर
	37	1.7700 हैक्टेयर
	4	0.3200 हैक्टेयर
	91	0.0100 हैक्टेयर
	92	0.7500 हैक्टेयर
कुल	5	2.8600 हैक्टेयर
खाता सं	खसरा सं.	रकबा
157	132	0.7000 हैक्टेयर
कुल	1	0.7000 हैक्टेयर

उपरोक्त वर्णित आराजीयात को वाद पत्र में आगे वादग्रस्त आराजीयात के रूप में सम्बोधित किया गया है।

3. प्रार्थना पत्र की चरण सं. तीन में दर्ज वादग्रस्त भूमिया प्रार्थीयागण की सहदायिकी में पुश्तैनी जायदाद है। इस परिवार के मुल पुरूष सोराम जी की सम्पत्ति कालान्तर में श्री किशोर जी के स्वामित्व में दर्ज हुई। श्री किशोर जी की मृत्यु उपरांत वादग्रस्त भूमिया उनकी पत्नी कंकु, पुत्र स्व. हजारी व विपक्षी सं. दो लगायत चार की संयुक्त खातेदारी में दर्ज रही है एवं स्व. हजारी की मृत्यु उपरांत उसका हिस्सा विरासत से पुत्र विपक्षी सं. एक की खातेदारी में दर्ज है। हिन्दी सम्वत 2010 से 20..... के अभिलेख अनुसार वादग्रस्त भूमिया स्व. सोराम जी एवं तत्पश्चात श्री किशोर जी की खातेदारी में दर्ज रहना दर्शित है। श्री सोराम जी प्रार्थीयागण के दादा होने और श्री किशोर जी प्रार्थीयागण के पिता होने से सहदायिकी में प्रार्थीयागण वारिस उत्तराधिकारी निर्मित होती है।

अतः यह स्पष्ट एवं प्रमाणित है कि वादग्रस्त भूमिया प्रार्थीयागण की पैतृक पुश्तैनी जायदाद है जिसमें हिन्दु उत्ताधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थीगण को जन्म से हक अधिकार हासिल हो चुके हैं। वादग्रस्त भूमियो में राजस्व रिर्काड में दर्शित अनुसार प्रार्थीगण के भाई विपक्षी सं. दो लगायत चार को 1/5 हक हिस्सा गलत दर्ज रहा हैं।

जबकि वास्तव में उक्त भूमियों में प्रत्येक प्रार्थीया एवं विपक्षी सं. एक लगायात चार को कमशः 1/6 हक हिस्सा प्राप्त रहता हैं। कंकु बाई का देहान्त हो चुका हैं किन्तु इनका नामांतरण शेष हैं। कंकु बाई का नाम रिकार्ड से हटने पर प्रत्येक प्रार्थीया एवं विपक्षी सं. एक लगायत चार को कमशः 1/6 हक हिस्सा प्राप्त रहता हैं। विपक्षी सं. तीन उदा उर्फ उदयलाल को विपक्षी सं. एक द्वारा बहला फुसला कर पारिवारिक व्यवस्था को अनदेखा करते हुए प्रार्थीयागण के प्रत्येक आराजीयात में वर्णित प्रत्येक इंच अंश का बिना विधिवत् विभाजन हुए आराजी सं. 358, 360, 359, 382, 383, 387, 389 की सम्पुर्ण 1/5 हिस्से की भूमि को पंजीकृत हकत्याग विलेख दिनांक 09.09.2024 के जरिये विपक्षी सं. एक छोगालाल को हस्तान्तरित कर देना जाहिर हुआ है एवं इस विलेख को प्रार्थना पत्र में आगे वादग्रस्त विलेख कहा गया है।

4. विपक्षी सं. एक के पक्ष में निष्पादित वादग्रस्त विलेख को अकृत्य एवं निष्प्रभावी घोषित किये जाने अपने हक अधिकारों की घोषणा बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा किये जाने हेतु मूल वाद प्रस्तुत किया गया है, जिसके निम्नलिखित आधार है :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.11.19 10:28:24 IST
Reason: SelfAttested

क. वादग्रस्त भूमिया विपक्षी कमांक तीन की स्वअर्जित सम्पत्ति नहीं है पुरखो से विरासत से प्राप्त जायदाद है। वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण का जन्म से हक अधिकार निहित होने से प्रार्थीयागण का भी विपक्षी कमांक तीन के समान बराबर हक अधिकार था जिसे क्षति पंहुचाते हुए सम्पुर्ण 1/5 हिस्सा हस्तान्तरित कर देने का विपक्षीगण को विविध हक अधिकार हासिल ही नही रहता है। वादग्रस्त

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

विलेख के निष्पादन से प्रार्थीयागण अकारण के निहित अधिकारो पर निष्प्रभावी और प्रारम्भत : शुन्य है, अकृत्य किये जाने योग्य है, ऐसी घोषणा कराने की प्रार्थीयागण अधिकारी रहती है।

ख. यह कि वादग्रस्त जायदाद प्रार्थीयागण के बाप दादाओं के समय से मौजुद होने से और अविभाजित होकर उनकी सहदायिकी में प्राप्त पैतृक जायादाद होने से प्रार्थीयागण की सहमति के बिना हस्तान्तरित नहीं की जा सकती है। प्रार्थीयागण भले ही वर्तमान में खातेदार न हो परन्तु उनका हक हिस्सा सदैव निहित रहा है और चुंकि विपक्षी भाई ने प्रार्थीयागण को उनके समान हक हिस्सा परिदत्त करवाये बिना, निहित हक हिस्से की घोषणा करवाये, बिना, विपक्षी सं. तीन ने अपना सम्पुर्ण हक हिस्सा विपक्षी सं. एक को हक त्याग कर दिया जबकि विपक्षी सं. तीन को उक्त भूमियों में 1/6 हक हिस्सा की प्राप्त था और इसके अधिक हक हिस्सा अवैध रूप से और गुप चुप तरिके से हस्तानन्तरित हुआ है जो प्रार्थीयागण से निहित हितो के मुकाबले शुन्य होकर निष्प्रभावी है और प्रार्थीयागण पर बंधककारी प्रभाव नही रखता है।

5. प्रार्थीयागण के निहित हिस्से से कभी विपक्षीगण इंकार नहीं हुए हैं तथा प्रार्थीयागण की माता के जीवनकाल में प्रार्थीयागण का अपनी माता के साथ भूमियों पर कब्जा भी रहा है। माता की देहान्त उपरांत उनकी विरासत का नामांतरण भी शेष हैं किन्तु विपक्षी सं. एक द्वारा हाल ही में लालचवश विपक्षी सं. तीन से भूमि वास्तविक हिस्से से भी अधिक हस्तांतरित करवा लिये जाने से प्रार्थीयागण को विपक्षी सं एक व तीन इंकारी व षडयन्त्र ज्ञात हुआ है अतः वादग्रस्त भूमि में प्रत्येक प्रार्थीया का 1/6 हक हिस्सा घोषित किये, भूमि का अनुचित हस्तातरण रोके जाने हेतु स्थाई निषेधज्ञा एवं बंटवाडे का वाद प्रस्तुत किये जाना आवश्यक हुआ है।

6. वादग्रस्त भूमि विपक्षी सं. एक लगायत चार के नाम पर अभिलेखो में दर्ज होने से विपक्षीगण द्वारा उक्त भूमियों का स्वरूप परिवर्तित किये जाने, भार सृजित करने और पुनः हस्तान्तरित कर देने की प्रबल सम्भावना बनी हुई है। प्रार्थीयागण के हक अधिकार तय होने तक और भूमिया अविभाजित प्रकृति की होने से इनको संरक्षित किये जाना परम आवश्यक रहता है। अतः विपक्षीगण को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाना अत्यन्त आवश्यक रहता है कि वे वादग्रस्त भूमियों को किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित नहीं करें, न करावें। वादियागण के कब्जे काश्त में कोई दखलन्दाजी नहीं करे, न करावे।

7. प्रथम दृश्टया मामला प्रार्थीयागण के पक्ष में है क्योंकि प्रार्थीयागण उक्त भूमि की सहदायिक होकर प्रथम श्रेणी की वारिसान है तथा अपना नाम बतौर खातेदार दर्ज कराने की पात्रता रखते हुए विधिवत् विभाजन की अनुपस्थिती में अनुचित हस्तान्तरण रोके जाने की हकदार रहती है। सम्पत्ति आज तक अविभाजित होने से पक्षकारों के पृथक हक अधिकार एवं पृथक पृथक कब्जे प्रवर्तित होना प्रवर्तित होना भी शेष हैं, प्रथम दृष्टया प्रार्थी का वाद कारण एवं विचारणीय बिन्दू प्रकट हैं। सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीयागण के पक्ष में है क्योंकि मौके व रिकार्ड की यथास्थिती नही रखे जाने पर वाद बहुलता बढेगी एवं मौके पर रोज वाद विवाद होंगे। विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किये जाने पर प्रार्थीयागण को अपुर्तनीय क्षति होगी क्योकि वह सदैव के लिये भूमि के समान अंष से वंचित हो जाएगी एवं भूमि का स्वरूप व खातेदारी परिवर्तित होती जाएगी। अतः समग्र रूप से विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाना आवष्यक एवं न्यान संगत है।

अतः उपरोक्त अनुसार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि विपक्षीगण को इस आशय की अस्थाई निषेधज्ञा से पाबन्द [illegible] मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिती बनाये रखे, कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलदांजी नही [illegible]वें, वादग्रस्त भूमि को किसी भी प्रकार से रहन, हस्तांतरित, विक्रय नही करे, न क[illegible]

वकील विपक्षी सख्या 1 व 3 ने अपने जवाब [illegible] बिन्दु अंकि[illegible]।

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.11.19 10:26:24 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
घड़ीसादड़ी

1. प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 1 में गलत आधारो पर अंकित होने से अस्वीकार है।
2. प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित आराजीयात व खसरानम्बर सही होने से स्वीकार है। लेकिन उक्त कलम में अंकित आराजीयात वादग्रस्त आराजीयात की श्रेणी में नही आती है।

3. प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 3 मे वर्णित पारिवारिक सजरा गलत अंकित होने से अस्वीकार है। क्योकि स्व. किशौर जी के दो पत्नियां थी तथा प्रथम पत्नि भौली के एक पुत्री हगामी है जिसे उक्त वादपत्र/ प्रार्थनापत्र मे पक्षकार मुकदमा नही बनया गया है। तथा स्व.किशोरजी ने अपने जीवन काल में अपनी तीनो पुत्रीयों का विवाह कर दिया था तथा विवाह उपरान्त तीनो पुत्रीयों अपने अपने ससुराल रह रही थी। वादीयागण व वादीयागण की पूर्व माता की पुत्री तथा वादीयागण की बहन हगामी बाई का भी उक्त किशोर जी की आराजीयात में हिन्दू उत्तराअधिकार के तहत हक हिस्सा निहित था परन्तु वादीयागण व वादीयागण की बडीमाता की पुत्री हगामी बाई ने स्व. किशोर जी के वारीसान के इन्तकाल की प्रकिया के समय नामान्तरण प्रक्रिया में अपना–अपना हक त्याग कर दिया था जिस उपरान्त नामानान्तरण की प्रकिया पूर्ण हो कर नामान्तरण खोला गया जिसमें किशेर जी के सभी उत्तराधिकारीयों के नाम दर्ज रिकार्ड होकर अपना अपना 1/5 – 1/5 हक हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुआ। उक्त कलम में अंकित तथ्य की कंकुबाई का नामान्तरण शेष है गलत होने से अस्वीकार है क्योंकि कंकू बेवा किशोर जी का नामान्तरण भी खुल चुका है तथा कंकू के 1/5 हक हिस्से में दोनों पुत्रीयों के भी नाम दर्ज रिकोर्ड है । प्रतिवादी संख्या तीन 3 उदा उर्फ उदयलाल चुकि प्रतिवादी संख्या एक 1 छोगालाल के काका है। छोगालाल के माता–पिता स्व.हजारीलाल व स्व.रंभाबाई का देहान्त प्रतिवादी संख्या एक 1 छोगालाल के बाल्य अवस्था में हो गया था तब से उदाजी का प्रतिवादी एक 1 छोगालाल पर विशेष स्नेह होकर उदा जी की सेवा चोकरी इलाज दवाइयां आदि देख रेख प्रतिवादी संख्या एक 1 छोगालाल द्वारा अपने काका को पिता का सहारा मानते हुए करता रहा है जिस सेवा से प्रभावित होकर उदा उर्फ उदयलाल जी ने अपने पिता की सम्पति मे से अपना हिस्सा प्रतिवादी संख्या एक 1 छोगालाल को जरीए हकत्याग व पंजीकृत वसियत नामा से प्रतिवादी छोगालाल के नाम की है जिसे वादीया निरस्त कराने की अधिकारी नही है।
4. प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 4 में अंकित आधार निरआधार होने व गलत अंकित होने से अस्वीकार है:–

क. उक्त कलम में गलत तथ्य अंकित होने से अस्वीकार है। वादीयागण उदा उर्फ उदयलालजी का जायान्दा सन्तान नही है तथा वादीयागण द्वारा अपना हिस्सा हक त्याग करने के उपरान्त प्रतिवादी संख्या 3 ने अपने राजस्व रिकार्ड में अंकित हिस्से की आराजी को जरीए हकत्याग व वसियत हस्तान्तरित किया है। क्योंकि प्रतिवादी 3 वृद्व हो कर बिमार रहते है उदाजी की सेवा चाकरी प्रतिवादी नम्बर 1 द्वारा ही कि जा रही है। वादीयागण अपने विवाह के उपरान्त से ही अपने ससुराल में निवासरत है। अन्य सभी तथ्य गलत अंकित होने से अस्वीकार है।

ख. उक्त कलम में अंकित तथ्य गलत हाने से अस्वीकार है। प्रतिवादी संख्या 3 उदा उर्फ उदयलालजी के हिस्से की अराजीयात में वादीया का कोई हक हिस्सा निहित नही है। वादीया स्वयं साबीत करें। वादीया उक्त वादपत्र के माध्यम से हक त्याग विलेख को शुन्य एवं निष्प्रभावी घोषित कराने की अधिकारी नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.11.19 10:26:24 IST
Reason: SelfAttested

5. प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 5 में अंकित तथ्य गलत अंकित होने से अस्वीकार है। वादीयागण विवाह परान्त से अपने ससुराल में निवासरत है तथा उक्त आराजी [illegible] में कभी प्रार्थीगण का कब्जा नही रहा है वादीया के पिता की मृत्यु उपरान्त जो नामान्तरणकरण खोलने की कार्यवाही विधिसम्मत हुई वह विधिअनुरूप प्रकिया को लागु करते हूए पंचायत द्वारा [illegible]रम पूर्ण कर पंचायत के फैसले के

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

अनुरूप नामान्तरण खोला गया है। तथा उक्त नामान्तरकरण की कार्यवाही में भूअभिलेख अधिकारी द्वारा अपनी रिपोर्ट पेश कर पंचायत में उक्त प्रकरण की पत्रावली पेश हुई तथा पंचायत सदस्यों तथा राजस्व अधिकरीयों के समक्ष प्रार्थीया द्वारा हक त्याग लिखित में देने के उपरान्त उक्त नामान्तकरण की कार्यवाही अमल अराज की गई । जिस कारण वादीयागण का किशोरजी के हक हिस्से की आराजीयात में कोई हक हिस्सा नही बनता है। अन्य तथ्य गलत अंकित होने से अस्वीकार है। वास्तविकता यह है कि वादीयागण का विवाह आज से कई वर्ष पूर्व गांव सांरगपुरा (कानोड), मलुकदासजी की खेडी (डुंगला), गुलजीका खेडा (भदेसर), मे हो चुका है तथा वादीयागण विवाह के उपरान्त से अपने पति के साथ अपने अपने गांव में निवासरत है तथा वादीयागण का किशोर आराजीयात में कभी कोई कब्जा नही रहा है। तथा विपक्षीगण अपनी उक्त आराजीयात पर अपने पिता की मृत्यु के उपरान्त से शांन्ति पूर्वक काबीज हो काश्त करते चले आ रहे है।

6. प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 6 में अंकित सम्पूर्ण तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। विपक्षीगण 1 एक छोगालाल द्वारा अपने माता–पिता की मृत्यु के उपरान्त अपने काका के साथ रह कर समस्त किशोर जी की सन्तानो द्वारा किये गये बाहमी बटवाडे के हिस्से पर काबीज हो वहां रहने हेतू मकान का भी निमार्ण वर्ष 2017 में चददर पोष कर रखा है तथा अब माननीय प्रधानमंत्री जी की आवास योजना के तहत छत डालने की प्रकिया को बाधित करने हेतू उक्त झूठा प्रकरण वादीयागण द्वारा किया है जिस कारण भी प्रतिवादी को पावन्द किया जाना न्यायोचित नही है। विपक्षीगण द्वारा उक्त भूमि के स्वरूप मे परिर्वतन की कोई सम्भावना नही है। तथा मौके पर बाहमी बटवाडा कर विपक्षीगण के बाप दादा के समय उक्त आराजीयात का विभाजन कर विपक्षीगण काबीज है जिस कारण भी विभाजन की आवश्यकता नही होने से विपक्षीगण को स्थाई निषेधाज्ञा स पाबन्द किया जाना भी न्यायोचित नही है।

7. वादपत्र की चरण संख्या 7 में गलत तथ्य अंकित होने से अस्वीकार है। क्योंकि प्रार्थीगण द्वारा अपना हिस्सा हक त्याग कर देने से तथा विपक्षीगण द्वारा बाहमी बटवाडा कर उक्त आराजीयत पर शान्ति पूर्वक काबीज हो काश्त करने से प्रथम दृष्टियता केस प्रमाणित है तथा सुविधा का सन्तुलन भी विपक्षीगण के पक्ष में होकर अपूर्णिय क्षति का सिद्वान्त भी विपक्षीगण के पक्ष में है विपक्षीगण को अगर अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्ध कर दिया जायेगा तो विपक्षीगण को ऐसी होनी होगी की उसकी पूर्ती अन्य किसी प्रकार से सम्भव नहीं है।

उभयपक्षो के तर्को के एवं बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु विधि के तीन बिन्दुओं को प्रमाणित करना होता है :–

1– प्रथम दृष्टया मामला
2– सुविधा का संतुलन
3– अपूरणीय क्षति

1– <u>प्रथम दृष्टया मामला</u>

पत्रावली पर प्रस्तुत अभिवचनों व दस्तावेजो से यह प्रमाणित होता है कि अप्रार्थीगण अपना प्रार्थना पत्र दस्तावेजों के एवं अभिवचनों के आधार पर साबित करने में असफल रहा है इसलिये अप्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला बनना नही पाया जाता है। अतः प्रथम दृष्टया मामले का बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.11.19 10:26:24 IST
Reason: SelfAttested

<u>2. सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति :–</u>

सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का सिद्वान्त प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है। तीनो ही तात्विक बिन्दुओं को प्रार्थीगण साबित करने में सफल रहा है।

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

अतः वकील प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट. का स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि नान्दोली पटवार हल्का भाटोली की आराजी नं. 359, 382, 383, 387, 389 कुल किता 5 रकबा 1.2300 हैक्ट., आराजी नं. 358 रकबा 0.8100, आराजी नं. 36, 37, 4, 91, 92 कुल किता 5 रकबा 2.8600 तथा आराजी नं. 132 रकबा 0.7000 हैक्ट. भूमि पर विपक्षीगण को पाबंद किया जाता है कि वे मूल वाद के निस्तारण तक उक्त आराजीयात के मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे, कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलदांजी नहीं करे, न करावे, वादग्रस्त भूमि को किसी भी प्रकार से रहन, हस्तांतरित, विक्रय नहीं करे, न करावे।

यह आदेश आज दिनांक 15/09/2025 को सरे इजलास लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रवीण कुमार मीणा)
सहायक कलक्टर
बडीसादडी

न्यायालय सहायक कलेक्टर बड़ीसादड़ी (चित्तौड़गढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.11.19 10:26:24 IST
Reason: SelfAttested